



गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर(छ.ग.)

(केन्द्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009, क्रमांक 25 के अंतर्गत स्थापित केन्द्रीय विश्वविद्यालय)
GURU GHASIDAS VISHWVIDYALAYA, BILASPUR (C.G.)
(A Central University established by the Central Universities Act., 2009 No.25 of 2009)
Web Site – www.ggu.ac.in, Ph. No. 07752-260342, fax No. 07752-260148,154

क्रमांक 456/अका./डीन नियु./2022

बिलासपुर, दिनांक

02 OCT 2022

आदेश

केन्द्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 क्रमांक 25 की धारा 13 के अंतर्गत एवं परिनियम क्रमांक 05 (1) के प्रावधानानुसार डॉ०मनीष श्रीवास्तव के स्थान पर डॉ०एम०एन०त्रिपाठी, आचार्य- शुद्ध एवं अनुप्रयुक्त भौतिकी विभाग को कुलपति महोदय के आदेशानुसार तत्काल प्रभाव से विधि विद्यापीठ का अधिष्ठाता नियुक्त किया जाता है।

यह नियुक्ति अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक के लिये की जाती है।

आदेशानुसार,

कुलसचिव(कार्यवाहक)

प्रतिलिपि:-

1. कुलपति/कुलसचिव के सचिव/निज सहायक की ओर मान० कुलपति/कुलसचिव के सूचनार्थ ।
2. डॉ०एम०एन०त्रिपाठी, आचार्य- शुद्ध एवं अनुप्रयुक्त भौतिकी विभाग, शिक्षण विभाग की ओर सूचनार्थ ।
2. डॉ०मनीष श्रीवास्तव, आचार्य- आंग्ल एवं विदेशी भाषा विभाग, शिक्षण विभाग की ओर सूचनार्थ ।
4. समस्त अधिष्ठातागण, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर की ओर सूचनार्थ ।
- 5.समस्त विभागाध्यक्ष/विभागीय अधिकारी, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर की ओर सूचनार्थ ।
6. समन्वयक,आई.टी.सेल, संगणक विज्ञान विभाग की ओर विश्वविद्यालय वेबपटल पर अपलोड हेतु प्रेषित ।
7. निदेशक,आई.क्यू.ए.सी. प्रकोष्ठ, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर की ओर सूचनार्थ ।
8. कक्ष अधिकारी, बैठक प्रकोष्ठ, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर की ओर सूचनार्थ ।
9. कार्यालय प्रति ।

सहायक कुलसचिव (अका०)